# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-2) मंगलवार, 24 मार्च, 2015/चैत्र 04,1937 (शक) अंक-03

## दिल्ली विधान सभा

**सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।**
**अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।**

**निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:-**

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह
9. श्री रितु राज गोविन्द
10. श्री राघवेन्द्र शौकीन
11. कु. राखी बिड़ला
12. श्री बिजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
15. श्री सोम दत्त
16. कु. अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. स. जरनैल सिंह

23. स. जगदीप सिंह
24. स. जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. कु. भावना गौड़
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री विजेन्द्र गर्ग विजय
35. श्री प्रवीन कुमार
36. श्री मदन लाल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्रीमती प्रमिला टोकस
39. श्री नरेश यादव
40. श्री करतार सिंह तंवर
41. श्री प्रकाश
42. श्री अजय दत्त
43. श्री दिनेश मोहनिया
44. श्री सौरभ भारद्वाज
45. श्री अवतार सिंह कालका
46. श्री सही राम
47. श्री नारायण दत्त शर्मा
48. श्री अमानतुल्ला खान
49. श्री राजू धिंगान
50. श्री मनोज कुमार
51. श्री नितिन त्यागी
52. श्री ओम प्रकाश शर्मा
53. श्री एस.के. बग्गा
54. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
55. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
56. श्रीमती सरिता सिंह
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री हाजी इशराक
59. श्री श्रीदत्त शर्मा
60. श्री जगदीश प्रधान
61. श्री कपिल मिश्रा

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-2) मंगलवार, 24 मार्च, 2015/चैत्र 04,1937 (शक) अंक-03

## सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
## माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।
## (राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

## माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, आज की इस बैठक में सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी अनुरोध किया था, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। दर्शक दीर्घा में जो भी भाई बन्धु बैठे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि किसी भी विषय पर कोई भी विधायक बोल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। किसी प्रकार की क्लैपिंग या शाउटिंग आप नहीं करेंगे। यह विधायिका का नियम है, उसका कृपया ध्यान रखेंगे।

सभी माननीय सदस्यों से भी मेरी प्रार्थना है, पिछली बार भी मैंने कहा था कि वेल में हम नहीं आयेंगे और क्लैपिंग नहीं करेंगे, हम केवल टेबल थपथपा सकते हैं और किसी प्रकार की शाउटिंग भी हम नहीं करेंगे। इस नियम का थोड़ा सा हम पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने चौ. फतेह सिंह, सुश्री भावना गौड़, श्री गिरीश सोनी जी, श्री गुलाब सिंह एवं श्री जगदीश प्रधान जी को वर्ष 2015-16 के लिए सभापति तालिका (Panel of chairman) नॉमिनेट किया है। 5 सदस्य हैं, मैं फिर दोहरा देता हूँ। चौ. फतेह सिंह, श्रीमती भावना गौड़, श्री गिरीश सोनी जी, श्री गुलाब सिंह एवं श्री जगदीश प्रधान जी को वर्ष 2015-16 के लिए सभापति तालिका में नॉमिनेट किया है। नये सदस्य हैं। थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि सभापति, उप सभापति निर्वाचित होते हैं, इसके अतिरिक्त 5 सदस्य और सभापति के तौर पर नॉमिनेट होते हैं। हम दोनों की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी सभापति की चेयर ले सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि कोई सदस्य किसी विषय को लेकर विधान सभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रैन्स करना चाहता है। कोई भी, हम 70 के 70 सदस्यों में से कोई भी प्रैस कॉन्फ्रैन्स करना चाहता है, उसके लिए एक रूम एलाट कर दिया है, अब तक पहले नहीं था, इस बार प्रेस कॉन्फ्रेन्स के लिए आप अच्छे ढंग से यहां बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमरा नं. 27 इसके लिए हमने एलाट किया है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना हमें सचिव को देनी होगी। जिससे कहीं कन्ट्रोवर्सी आपस में न खड़ी हो, क्लेश न हो। इसकी प्रायर सूचना हम सैक्रेटरी को दे दें।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि मैंने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि हमारी छठी विधान सभा के सभी सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनका आज ही अभी 10 मिनट पहले पत्र आया है, वह भी मैंने उचित समझा कि आपको जानकारी दे दूं ताकि समय

भी बचे, यहाँ से लैटर आपको भेजने में भी समय बच जायेगा। 27 मार्च, 2015 को सायं 6:30 बजे हम सभी को राष्ट्रपति जी ने मिलने का समय दिया है। हम सभी 70 के 70 विधायक वहां उपस्थित रहें, अच्छा रहेगा। ये कार्यक्रम yello drawing room में राष्ट्रपति भवन में होगा 27 मार्च, 2015 को सायं 6:30 बजे।

अब मैं आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, सहकारिता मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लि. की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

## सदन पटल पर प्रस्तुत-पत्र

**श्री मनीष सिसोदिया (सहकारिता मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लि. की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री गोपाल राय जी, परिवहन मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे परिवहन विभाग से संबंधित कागजों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

**श्री गोपाल राय (परिवहन मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2012-13 के लिए दिल्ली परिवहन निगम की अतिरिक्त लेखों की अंग्रेजी व हिन्दी प्रति सदन पटल पर रख रहा हूँ।

वर्ष 2012-13 के लिए दिल्ली परिवहन निगम के लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में (विलम्ब एवं समीक्षा विवरण) की प्रति भी सदन पटल पर रख रहा हूं।

## विशेष उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय :** अब नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख में मुझे 8 सदस्यों से आज सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके विषय में मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। कल भी हमारा सदन रहेगा। जैसा कि हम सभी की जानकारी में है।

मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के जरिए अपने क्षेत्र की समस्या को उठा सकते हैं। विशेष उल्लेख में एक दिन में एक ही प्रश्न उठाया जा सकता है। जो कि दिल्ली सरकार के किसी एक विभाग से संबंधित हो, एक ही पत्र में कई मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले विषय 8-10 लाइनों से अधिक नहीं होने चाहिए व उसमें किसी के प्रति आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए।

पहली बार कोई दिक्कत नहीं, कल हम जो भी सूचना दें, उसमें लिखित में दें। पूरा का पूरा जो आपने पढ़कर सुनाना है, बोलना है वो आप अपने लैटर पैड पर सादे कागज पर या फार्म ले सकते हैं। विषय की सूचना विधान सभा के नोटिस कार्यालय में बैठक के दिन प्रातः 11.00 बजे तक दी जानी चाहिए, 11.00 बजे से पूर्व आ जानी चाहिए। प्राप्त सभी सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, कारण ये रहता हे कि दस से ज्यादा अगर आती हैं तो लाट आफ ड्रा निकालना पड़ता है। प्रत्येक दिन हम केवल दस ऐसे प्रतिवेदन स्वीकार कर सकते हैं। आज केवल आठ ही प्राप्त हुए थे। सवा ग्यारह बजे इसके लिए बैलेटिंग हो जाती है, जिनका पहले क्रम से निकलता है, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा इस ढंग से हो जाता है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय का ध्यान रखेंगे। 280 के अंतर्गत आज जो उल्लेख प्राप्त हुए हैं उनके

नाम मैं ले रहा हूं वो अपना विषय संक्षेप में ही रखेंगे श्री देवेन्द्र सहरावत जी, हां बोलिए आप।

**Shri Devender Sehrawat :** Honourable Speaker, Sir, with your permission and in front of the Members of this August House, I wish to bring the issue of the unseasonal rain which has caused extensive damage to the standing crops of the rural belt in Delhi.

I myself belong to a rural constituency. Six villages from part of my constituency and individually I have visited the fields of Delhi where wheat and mustard crops are, currently culticated. The crops have been flattened, the accumulated water has remained standing in the fields leading to rotting of the residual crop. As a result, the wheat as well as the mustard crop, the grains have not fully formulated, the quality the texture of the grain has also suffered losses. Similar losses were incurred by the farmers engaged in vegetable farming all along the Yamuna belt.

As a result of this damage, harvesting by manual as-well-as mechanical means has become more difficult and costlier. The farmers of Delhi already reeling under the high cost of seeds and fertilizers are now confronted with severe financial hardship due to the untimely rains.

As per the Economic Survey of Delhi, 60 to 80 thousand acres of land is cultivated in rural Delhi and there are approximately nine

thousand individual land holdings and thirteen thousand joint land holdings in Delhi. Other states like. Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand have already announced relief to their farmers affected by rain a component of wich has been given by the Central Government like, in the case of Maharashtra, four thousand crore has come from the Central Government and one thousand crore by the State Government.

It will be my request to this August House that necessary assistance to the farmers of Delhi be announced on priority. It will be pertinent to mention that in 1993, the Delhi Government, in similar circumstances, had provided assistance to the farmers and sanctioned relif amount calculated on per Bigha of cultivated land. The assessment of the losses and the modusd operandi be kindly announced on highest priority. The other land related issues of Gram Sahha of extension of the Lal Dora, the special area status of the villages and even the most important matter of supply of treated water in rural belt needs special attention. Thank you, Your Honour.

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा** : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी पिछले दिनों दिल्ली सरकार की ओर से 10 परसेंट जो पानी के दाम बढ़ाए गए, पानी की कीमत बढ़ाना दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। पानी की कीमतों में वृद्धि का कड़ा विरोध करता

हूं। चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी देने के सपने दिखाए गए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बनने के बाद सभी को मुफ्त पानी देना तो दूर अपितु पानी की कीमतों में वृद्धि करना जनता के साथ विश्वासघात है। इस वृद्धि से दिल्ली की जनता पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है जो कि अनुचित है। एक तरफ तो प्रत्येक परिवार को 700 लीटर मुफ्त रोजाना पानी देने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ जो लोग उस दायरे में नहीं आते उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को देना, यह ऐसा कौन सा फार्मूला है, जिससे यह सरकार दम भर रही है कि हम लोगों को राहत दे रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि इस बढ़ी हुई वृद्धि को तुरंत वापस ले।

मेरे क्षेत्र विशेष में जो पानी का आवंटन है, पानी की लाइनें जो कि सीवर की लाइनों से जुड़कर, लोगों के पीने के लिए स्वच्छ पानी वहां उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से ये भी अनुरोध करता हूं कि जहां-जहां पीने के पानी की जो लाइनें हैं वो पुरानी हो गई हैं या अन्य कारणों से उनमें सीवर का पानी मिलकर आ रहा है उसके ऊपर अविलंब ध्यान दिया जाए जिससे की लोगों की सेहत का भी ध्यान हो और दिल्ली के लोगों को उचित कीमत पर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : सुश्री भावना गौड़।

**सुश्री भावना गौड़** : माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस मुददे को मैं यहां सदन में रखने वाली हूं वो मुद्दा केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है लगभग 40 हजार कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं और डी.टी.सी. के अंतर्गत काम

करते हैं उनके मुद्दे को मैं सदन के पटल पर रख रहीं हूं। दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग उनका वेतन छठे वेतन आयोग के अनुसार उनको मिलता है लेकिन मुझे लगता है कि ये 40 हजार कर्मचारी, जो दिल्ली के अंदर डी.टी.सी. के कर्मचारी कहलाते हैं और मुझे लगता है। कि डी.टी.सी. दिल्ली के अंदर एक लाइफ लाइन के अनुसार काम करती है। लगभग पचपन प्रतिशत ऐसे लोग जो लगातार सुबह से लेकर शाम तक डी.टी.सी. के अंदर सफर करते हैं लेकिन ये जिन लोगों की वजह से चल रही है वो कहीं न कहीं पीड़िता हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। छठे वेतन आयोग के अनुसार उनको तनख्वाह नहीं मिल पाती है। डी.टी.सी. के कर्मचारियों के जो भत्ते हैं वह भी छठे वेतन आयोग के अनुसार नहीं मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट एलाउंस जो छठे वेतन आयोग के अनुसार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये डी.टी.सी. के कर्मचारी जो कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हैं, हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं तो कृपया करके इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए।

एक बात मैं और कहना चाहूंगी। टी.ए. को लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया था, वी.आई.पी. कमेटी थी। उनकी सिफारिशें, उन बिंदुओं के ऊपर उन कमेटियों ने चर्चा की होगी लेकिन वो जो कुछ निकलकर उनसे आया, उनको लागू क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बहुत भारी प्रश्न है, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। श्रीमान सही राम जी।

**श्री सही राम** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली में जो बिजली कंपनियां हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं जैसा कि मेरे क्षेत्र में काफी बड़े एरिया में स्लम एरिया में जहां झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां हैं और इसी

तरह से पूरी दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं, अनोथाराईज कालोनियां हैं, गांव हैं, लेकिन बिजली कंपनियों की मनमानी से सब लोग परेशान हैं। सबसे पहले तो बगैर मीटर रीडिंग के ये लोग अपना एवरेज बिल बनाकर भेज देते हैं, उसके बाद अध्यक्ष जी ये उस एवरेज बिल में भी एडरेस किसी का होता है मीटर संख्या किसी की होती है और बिल किसी के नाम भेज देते हैं उसमें कोई सुधार इन लोगों ने नहीं किया उसके बावजूद इन लोगों के नाम, पते, संख्या सब अलग अलग होते हैं और यहां एक झुग्गी का बिल 50 हजार से 70 हजार भेज देते हैं। एक गरीब आदमी एक झुग्गी में कितनी बिजली यूज कर सकता है यह आज सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय जी, उसके बाद उन्हें नोटिस भेज दिया जाता है पुलिस का डर दिखाया जाता है एक एक झुग्गी में अध्यक्ष जी 5 किलोवाट से 7 किलोवाट के बिल भेजे जा रहे हैं। जो मैं अपने क्षेत्र की ही नहीं पूरी दिल्ली की बात आपके सामने रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय जी, अगर कोई गरीब आदमी झुग्गी बस्ती में रहने वाला उसी झुग्गी में रहता है, अपने परिवार को पालने के लिये अगर उसी झुग्गी में कोई छोटी मोटी किराने की या सब्जी की दुकान खोल लेता है तो उस झुग्गी पर ये पूरा कमर्शियल बिल लगा कर भेज देते हैं इस बिल को भरने में वह बड़ा असमर्थ रहता है। अध्यक्ष जी, उसमें कमर्शियल चार्ज लगाकर ये जब कि उसमें डोमेस्टिक होना चाहिये लेकिन ये उससे कमर्शियल चार्ज लेते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आगे इससे ज्यादा बढ़कर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि गरीब आदमी अगर 10 या 15 दिन अपना बिल चुकाने में लेट हो जाये, पैसे न भर पाये, उसका ये मीटर उखाड़ कर ले जाते हैं मीटर तो ले जायें, उसके साथ साथ जो खंभे से लीड आती है उसे भी उठाकर ले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वह गरीब आदमी जब बिल पे कर देता है और दोबारा अपने मीटर के लिये एप्लाई करता है तो उसमें दोबारा से उसे सरचार्ज देना पड़ता है। मीटर के बिल दोबारा भरने पड़ते हैं लीड के लिये दोबारा

पैसा देना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मीटर उखड़ के गया था जो लीड बी.एस.ई.एस. वाले ले के गये थे उसी को दोबारा लगाया जाना चाहिये। एक मीटर के लिये गरीब आदमी को दो-दो बार भुगतान करना पड़ता है। अध्यक्ष जी, इसके अलावा अभी मंत्री जी के आदेश हुए हर विधायक के यहां कैम्प लगाया जायेगा कि आप विधायक के यहां जाओगे, कैम्प लगाओगे, जिससे वहां की विधानसभा के जो लोग परेशान हैं, जो उनकी समस्यायें हैं, उनका निवारण हो सके। लेकिन अध्यक्ष जी, यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो खाली एक दिखावा हुआ है वहां आधे अधिकारी नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे हैं हमने कहा कि इसका बिल आठ हजार का है इसमें कुछ डिस्काउंट छोड़ो, जो फ्री इन्टरस्ट वगैरह है उसको कम कर दो तो कहते हैं ये हमारी अथोरटी में नहीं है। ये ऊपर वाले करेंगे। अगर ऊपर वाले को ही करना था तो अध्यक्ष जी हमारे यहां कैम्प लगाने का क्या फायदा हुआ। दूसरा अध्यक्ष महोदय जी इस विषय से हट कर एक और अहम विषय है उसके लिये मैं इजाजत चाहूंगा।.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : एक सैकेंड मेरी बात सुनिये। उनको अपना विषय पूरा करने दो .....**(व्यवधान)** देखिये, थोड़ा शांति बनाकर रखिये। एक सदस्य बोल रहे हैं उनको अपना विषय पूरा करने दें। मैं समय दूंगा, उसके बाद दो मिनट प्रवीन जी की बात मुझे आई है, डी.ई.आर.सी. के चेयरमैन को बुलाकर बात की जाये तो रखते हैं इस विषय को। दो मिनट बैठिये प्लीज। आप संक्षेप में पूरा करिये जल्दी से।

**श्री सही राम** : अध्यक्ष जी, इस विषय से हट कर बहुत अहम मुद्दा है शायद सभी साथियों के ध्यान में होगा कि 2007 में राजस्थान में आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक गुर्जर आंदोलन छिड़ा था और वो गुर्जर आंदोलन राजस्थान

में न होकर पूरे देश में हुआ था और उस आरक्षरण के मुद्दे पर जगह-जगह छोटी-मोटी घटनायें हुईं। रेल यातायात भी बाधित हुआ।

**अध्यक्ष महोदय** : सही राम जी, इसको थोड़ा .....**(व्यवधान)**

**श्री सही राम** : एक सैकण्ड मैं पूरा कर रहा हूं .....**(व्यवधान)**

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, एक मैम्बर एक विषय उठायेगा।

**श्री सही राम** : गुप्ता जी, ये बहुत अहम मुद्दा है .....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : सही राम जी, मेरी बात सुन लीजिये.....**(व्यवधान)**

**श्री सही राम** : कई हजार लोग इसमें फंसे हुए हैं आपसे निवेदन है कि एक मिनट का समय लूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी प्रार्थना सुन लीजिये। केवल बिजली विषय से संबंधित वैसे तो लिखित में आना चाहिये था आज पहली बार है मैंने इसलिये लिखित में आपका आया नहीं केवल आपने रिक्वेस्ट की थी जो मेरे पास आई है लिखित बयान आपका नहीं था यहां टेबल पर। अब आप केवल बिजली से संबंधित एक मिनट और बोल लीजिये। बोलिये।

**श्री सही राम** : अध्यक्ष जी, मैं उस समय कह रहा था कि उसमें छोटी-मोटी घटनायें हुई थीं कई हजार लोगों के उस समय केस दर्ज हुए थे। राजस्थान सरकार ने जो अपने केस वापिस ले लिये, मध्य प्रदेश सरकार ने ले लिये, पंजाब सरकार ने ले लिये। लेकिन दिल्ली सरकार ने मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अनुरोध है कि जिन लोगों पर उस समय केस दर्ज हुए थे उन्हें वापिस ले लिया जाये। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। एक सैकण्ड 280 एक बार पूरा हो जाये प्लीज।

**श्री जरनैल सिंह (आर.जी.)** : ये जो विशेष उल्लेख के जरिये जो मुद्दे उठाये जायेंगे तो क्या संबंधित मंत्रालयों से उसके संबंध में जो एक्शन है एक्शन रिपोर्ट या जवाब है संबंधित सदस्य के पास आयेगा या नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कोई भी विषय उठाया जायेगा तो यह होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : ये निश्चित रूप से होगा। मैं यहां थोड़ा सा सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए और स्वयं भी प्रतिदिन जनता को आते हुए देख रहा हूं। सदन की भावना को आपके बीच में रखने का स्वयं प्रयास कर रहा हूं। बिजली कंपनियों को लेकर बिजली कंपनियां मीटर उतारकर ले जाती हैं घरों से मीटर बदलना है ये पुराने मीटर हैं नये मीटर आ गये हैं और मीटर जब घर से उतरता है वो मीटर खुद उनकी लैब में चैक होता है डेट दी जाती है कि आप 3 मार्च को आइयेगा या 10 मार्च को आइयेगा। उस दिन आपके सामने यह मीटर सील किया या खोला जायेगा। कुछ लोग पहुंचते हैं कुछ लोग नहीं पहुंचते हैं लैब उनकी अपनी होती हैं और उस लैब में जनरली क्या होता है यह ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं और थोड़े दिनों बाद बिल बनकर आ जाता है आपने मीटर टैम्पर्ड किया हुआ था। इसलिये आपका लाख-डेढ़ लाख का बिल बन गया है। मैं सदन की भावनाओं को माननीय मंत्री जी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बिल का मामला है मीटर का टोटल इसके लिये टेस्टिंग की कंपनियां और होनी चाहिएं बी.एस.ई.एस. स्वयं टेस्ट करें और स्वयं हम पर चोरी का आरोप लगायें दिल्ली की जनता पर आरोप

लगायें तो यह उचित नहीं है ना किसी कानून में वो मीटर अगर थेफ्ट था उसमें टैम्पर्ड था कोई और कंपनियां उसमें नियुक्त हों कोई और मैथड उसके लिये फालो किया जाये फिर अगर वो कंपनियां वाकई में लगता है मीटर में चोरी है तो चोरी का बिल बने मीटर उतारने वाले भी वही साहूकार भी वही चोर बताने वाले भी वही कृपया मैं इस बात को सदन के बीच में रख रहा हूं और आप सब लोगों ने इसमें सहमति प्रदान की है इस विषय पर आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री सोमनाथ भारती** : यह जो टेस्टिंग का डिवाइस है पोर्टेबल है ये बकायदा बिजली कंपनियां अगर चाहें तो उनके पास कुछ टेस्टिंग डिवाइस उन्होंने खरीदे हैं अभी वो ले जाकर के वहीं पर चैक कर सकते हैं वो मीटर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है लगे हाथ 10 मिनट में मीटर की टैस्टिंग ऑन दा साईट हो सकती है तो यह बात अगर अवगत कराई जाये और बोला जाये कि इस प्रैक्टिस को शुरू करें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर ऐसा संभव है भारती जी का सुझाव महत्वपूर्ण है।

**श्री सोमनाथ भारती** : संभव है सर, आन द साईट हो सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर ऐसा संभव है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय नियम 280 के अधीन यहाँ पर आपके समक्ष, सदन के समक्ष रख रहा हूँ वास्तविकता में तो

यह विषय प्वाइंट ऑफ आर्डर का है क्योंकि एक संवैधानिक संकट आज इस सदन के समक्ष स्थापित हो गया है और 74वें संशोधन के अंतर्गत दिल्ली वित्त आयोग का गठन किया गया था। 1995 में पहला दिल्ली वित्त आयोग का गठन हुआ था और 1996 में पहले दिल्ली वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमंडेशन सब्मिट की थी जिसको असेम्बली ने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद वो लागू हो गया था 1996 से 2001 के लिए। तत्पश्चात् दूसरा जो फाइनेंस कमीशन है वो 2001 में constitute किया गया 2001 से 2006 तक उसके अनुसार दिल्ली की तमाम नगर निगमों में चाहे वो दिल्ली नगर निमग हो चाहे वो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल हो, चाहे वो दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड हो इन तमाम नगर निगमों को गैर योजना मद में धन उपलब्ध कराया गया था और लगातार 2006 से 2011 के लिए और 2011 से 2016 के लिए अक्टूबर 2009 में तीन सदस्यीय वित्त आयोग का गठन किया गया और चौथे दिल्ली वित्त आयोग का गठन जब हुआ तो उसकी रिपोर्ट के आने से पूर्व दिल्ली की सरकार ने यह तय किया भारत सरकार के साथ मिलकर कि दिल्ली की नगर निगम का trifurcation किया जायेगा उसको तीन हिस्सों में बांटा जायेगा जिसका नोटिफिकेशन जनवरी, 2012 में हुआ। जनवरी, 2012 में नोटिफिकेशन होने के बाद 05 अप्रैल, 2013 को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की रिकमंडेशन रिपोर्ट दिल्ली की सरकार को सौंप दी गई और उसका एक ही ध्येय था कि 243(आई), जो भारत के संविधान की धारा 243(आई) के अंतर्गत वो रिपोर्ट तैयार की गई और 243 (वाई) के अनुसार जो बाध्य करता है अरबन लोकल बोडीज (यू.एल.बी.) के वो सही रूप से, सुचारु रूप से चल सके, उसको ध्यान में रखकर चौथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट 05 अप्रैल, 2013 को दिल्ली की सरकार को सौंप दी गई। हालांकि उस पार्टी का जिसकी सरकार थी, इस सदन में कोई

सदस्य नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि पहला अपराध कांग्रेस की सरकार ने किया, जिसको अगर बहुत गहराई से पढ़ा जाये तो वो Criminal Breach of Trust है क्योंकि उसको टेबल न करना, सही स्थिति को जनता के सामने न आने देना और उस रिपोर्ट ने, क्योंकि इंतजार किया trifurcation का इसका अर्थ यह साफ है कि trifurcation को लेकर के भी निश्चित रूप से चौथे दिल्ली वित्त आयोग में जरूर चर्चा हुई होगी। वित्तीय संशोधनों पर भी आज दिल्ली के अधिकांश कार्य दिल्ली नगर निगम से या म्यूनिसिपल बाडीज से जुड़े हुए हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाकर यह दिल्ली की जनता के हित का एक विषय है क्योंकि अगर कोई किसी भी प्रदेश की नगर निगमें ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं धन के अभाव में तो उसका असर जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ता है। 05 अप्रैल, 2013 को रिपोर्ट टेबल उसके बाद न होना पूरा टेन्योर समाप्त हो जाना, चुनाव आ गये दिसम्बर में उसके बाद नई सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार और नई सरकार का भी वही ध्येय था क्योंकि उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल थे और दोनों पार्टियों ने मिलकर, उस नई सरकार ने भी इंटेंशनली उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया जो कि एक संवैधानिक संकट है। उसके बाद नई विधान सभा का गठन हुआ है। आज हमारे सदन की तीसरी बैठक हो रही है, कल चौथी बैठक होगी लेकिन अभी तक एजेन्डे पर कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि दिल्ली वित्त आयोग की चौथी रिपोर्ट सदन के समक्ष लाई जायेगी। मैं अध्यक्ष जी, आपके समक्ष यह अपेक्षा करूँगा कि इस पर मुख्यमंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें कि दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट पटल पर क्यों नहीं लाई जा रही है और अगर उनको लगता है कि किसी कारण से विलंब हुआ है तो उसको भी सदन के समक्ष उसके बारे में व्याख्यान

दें और वो कब सदन के पटल पर, क्या आज या कल, कब वो पटल पर आयेगी और उसके बाद चर्चा हो और उसकी रिकमंडेशन को ध्यान में रखकर आज नगर निगमों के तीनों महापौर मुख्यमंत्री जी के कक्ष में मिलने गये थे हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उनको निराश किया। जिस तरह का एक संरक्षक का दायित्व होता है.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : बिजेंद्र जी, फिर यही विषय जो है, आप स्वयं कहते हैं, एक सेकेंड बैठिये आप प्लीज। एक सेकेंड बैठिये प्लीज।

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, आज अखबार में भी टाइम्स ऑफ इंडिया में .....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : बिजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिये। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। भावना जी, आप बैठिये, मैं बोल रहा हूं।

**श्री बिजेंद्र गुप्ता** : आज कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही .....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : पहले मेरी बात सुनिये। पहले मेरी बात सुन लीजिए एक बार आराम से। आप थोड़ा सुनने का भी माद्दा रखिये। आपने जितना कुछ बोला है वो इसमें लिखा नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने अलाउ किया। उससे डबल बोला है लेकिन आप इस विषय को वित्त आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है सदन में, किन कारणों से नहीं आई आपने यह भी कहा, जान-बूझकर नहीं रखी गई, इंटेंशनली नहीं रखी या क्यों नहीं रखी गई उसका मुख्यमंत्री जी उत्तर दें, आपने बात रखी मैंने स्वीकार की, लेकिन उसको आप ट्विस्ट कर रहे हैं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए एक बार प्लीज। मैं इस चीज को.....**(व्यवधान)**

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : आज दिल्ली का डेढ़ लाख एम्प्लॉई.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगर उत्तर देने लगूँ इसका.....**(व्यवधान)**

**श्री बिजेंद्र गुप्ता** : वित्त आयोग की रिपोर्ट.....**(व्यवधान)** इसके प्रबंधन पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, रिपोर्ट के माध्यम से जनता के सामने आ जाएगा।.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : बिजेंद्र जी, अब आप एक बार सुन लीजिये प्लीज। सरदार जी, प्लीज बैठ जाइये। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ वातावरण सदन का सुंदर बना रहे, अच्छा बना रहे इसको पॉलिटकली ट्विस्ट मत करिये। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बात को समझिये इसको, आपने बात रख दी पूरी बात रख दी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मुख्यमंत्री जी ने सुन ली, पिछली बार भी यही विषय रहे, आज फिर इसको पॉलिटिकली ट्विस्ट कर रहे हैं, अगर मैं उत्तर देने लगूँ, मैं स्वयं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी की गरिमा है। मैं नहीं चाहता वो चीजें और आप भी प्लीज इसको समझिये। यह फाइनेंशियल ईयर जो गया है 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें न आम आदमी पार्टी थी, न कांग्रेस पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मेरी बात पूरी सुन लीजिए.....**(व्यवधान)**

**श्री बिजेंद्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, टेबल करवाइये।

**अध्यक्ष महोदय** : वो बात आपकी मान ली मैंने कि सदन में टेबल करिये। बस यहाँ विषय खत्म हो गया। 2014-15 कोई राजनीतिकक दल यहाँ नहीं था दिल्ली में डायरेक्ट और मैं इंगित नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा राजनीतिक दल सरकारें चला रहा था मुझे शोभा नहीं देता लेकिन 2014-15 का विषय छोड़

दीजिए। उनका मेयर का विषय छोड़ दीजिए। वो विषय आज के नहीं हैं। आपको रखने हैं तो बाद में रख लीजिएगा। आपने अपनी बात बहुत शालीनता से रखी है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ देखिये मेरी बात सुन लीजिए। समय बर्बाद हो रहा है। आपकी तारीफ मैं करता हूँ कि आपने अपनी बात रखी। बहुत अच्छी बात रखी कि वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है वो सदन पटल पर आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सुना है और वो एक विषय खत्म हो गया। That's all नेक्स्ट सुश्री अलका लांबा जी।

**श्री बिजेंद्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, मैं इस पर इतना चाहूंगा कि क्या इस पर बयान होगा.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं 280 पर यह बाध्यता नहीं है। आप 280 का पढ़ लीजिएगा। 280 में ऐसी बाध्यता नहीं है।

**श्री बिजेंद्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का विषय नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का अलग विषय है। दोनों एक चीज में नहीं हो सकते, 280 में आप विषय रख सकते हैं। बिजेंद्र जी, आप हर बार controversy खड़ी करते हैं प्लीज या तो आप लॉ को एक बार पढ़ लीजिए। यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का विषय नहीं है, यह केवल 280 का विषय है। आप बैठिये। सदन को ठीक से चलने दीजिए। आपको इतनी शालीनता से समय दिया। त्यागी जी, प्लीज बैठिये। अलका लांबा जी।

**सुश्री अलका लाम्बा** : अध्यक्ष जी, मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने नियम 280 के अंतर्गत मुझे पानी से संबंधित समस्या को

यहाँ पर उठाने का अवसर प्रदान दिया, मैं धन्यवाद करती हूं और मैं अपनी समस्या को रखने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूं इस हाउस और दिल्ली के तमाम लोगों की तरफ से जिसकी मैं उम्मीद तो कर रही थी, बी.जे.पी. के जो हमारे साथी हैं उन्होंने पानी की समस्या को उठाया लेकिन उसके साथ धन्यवाद करना भूल गये, मैं सब की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली की सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दिल्ली की जनता को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की शुरुआत की। इतना ही नहीं, मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने जो पानी के बिल पर सरचार्ज लग कर आ रहे थे, इतना पानी का बिल नहीं था जितना उसके ऊपर सरचार्ज लगे थे। मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपका संदेश चाहे रेडियो के माध्यम से हो आम जनता तक पहुँचा कि आपने 30 मार्च तक अगर कोई बिल भरता है तो उसे सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। वो बोझ भी कम किया, दिल्ली की जनता को राहत दी, उसके लिए तहेदिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से सुभाष पार्क प्लांट में पानी छोड़ा जाता था, पहले यह बताया गया कि दो बार पानी छोड़ा जाता था, अध्यक्ष महोदय, अभी उस पानी को दो की बजाय सिर्फ एक बार छोड़ा जा रहा है। उस एक बार में भी पूरा पानी जब तक टैंकर में भरे उससे पहले पानी की सप्लाई पीछे से बंद कर दी जाती है, मैं हमारे उपाध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड के कपिल जी का भी धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि जहाँ पानी नहीं पहुँचा, मैंने आपसे समय माँगा लेकिन आपने कहा कि समय आने में मत बर्बाद करिये, छोटा सा एसएमएस कर दीजिए, पानी उपलब्ध हो जायेगा, मुझे खुशी है कि सरकार फोन और एस.एम.एस. पर भी काम कर रही है और मैंने चार टैंकर की माँग की,

जहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर पानी तुरंत पहुँचा लेकिन समस्या यह है कि चांदनी चौक की अगर मैं बात करूँ या जामा मस्जिद की इतनी संकीर्ण गलियाँ हैं कि वहां पर पानी के टैंकर का पहुँचना असम्भव है तो मैं उम्मीद करती हूँ जो पानी की सप्लाई वजीराबाद प्लांट से दो टाइम हुआ करती थी उसे एक टाइम कर दिया गया उसे दोबारा दो टाइम किया जाए और पानी के टैंकर जब तक फुल नहीं हो, लोगों के घरों तक पानी न पहुँच जाये, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूँगी इस पर ध्यान दिया जाये।

जहाँ तक गंदे पानी का सवाल है, मैं फिर कहूँगी, यह भी समस्या हमने पूरी तरह से इसका आकलन किया, जो सरकारी पाइप लाइन है उसमें कहीं लीकेज नहीं है लेकिन लोगों ने जो घरों में प्राइवेट लाइन डाल दी है वो लाइनें खराब हो चुकी हैं वो पानी की लाइन लीक कर रही है जिससे कि पीने का पानी जो घरों में पहुँचने तक वो सीवर का पानी मिल जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार जल बोर्ड ने कहा है कि जो प्राइवेट कटरों में जल की लाइनें हैं उसे शायद वो ठीक नहीं कर सकते, वो प्राइवेट लोगों ने डाली हुई है, पर मैं निवेदन करूँगी अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर हम कुछ मदद उन प्राइवेट कटरों में रहने वाले लागों की कर पाये कि प्राइवेट लाइन को भी थोड़ी सी मदद हम कर पाये ताकि हमारा जो पानी ऊपर से ठीक आ रहा है उनके घर तक ठीक पहुँच जाये। मैं आपका फिर से तहेदिल से धन्यवाद करती हूँ। जयहिंद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नरेश बाल्यान जी।

**श्री नरेश बाल्यान** : धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस साल मार्च के महीने में बारिश ने किसानों की काफी फसल को बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे कहना

चाहता हूँ कि एक सर्वे कराया जाये दिल्ली देहात का और जहाँ-जहाँ फसल बर्बाद हुई है और जिन-जिन किसानों को, तकरीबन-तकरीबन 12-15 हजार रुपये एक एकड़ का खर्चा आता है एक किसान का, एक साल में एक एकड़ का तो एक सर्वे कराया जाये और जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। श्री विशेष रवि जी।

**श्री विशेष रवि** : बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। अपनी बात बोलने से पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को आपके माध्यम से नवरात्रों की इस शुभ त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका ध्यान कटरों में सीवरों की सफाई की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा के अंदर लगभग एक हजार कटरे हैं जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर हैं। ये कटरे न सिर्फ हमारे देश का इतिहास हैं बल्कि देश की धरोहर भी हैं। जिस तरह से मुम्बई में बड़ी-बड़ी चौलें हैं और बहुत सारे परिवार सामूहिक रूप से रहते हैं उसी तरह उसी का एक छोटा रूप है जहाँ पर एक कटरे के अंदर लगभग 25 से 30 परिवार रहते हैं और उनकी जो सीवर लाइन है, उन सीवर लाइन की सफाई करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं होता। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने साल देश को आजाद होने के बाद भी आज तक भी यह डिसाइड नहीं हो पाया है, यह तय नहीं हो पाया है कि कटरों में सीवर लाइन की सफाई कौन करेगा? हम एम.सी.डी. से बात करते हैं तो उसका यह कहना है कि हम सिर्फ सीवर लाइन डालते हैं सीवरों की सफाई का काम हमारे पास नहीं है और जल बोर्ड यह कहता है कि जिन सीवर लाइन को हम नहीं डालते हैं वहाँ पर हम सफाई नहीं करते हैं। लगभग अप्रैल, 2014 से यह पत्र व्यवहार के माध्यम से मैं यह

कार्रवाई कर रहा हूँ यह सारी चिट्ठी-पत्र इसके अंदर है, कई सारी बैठकें हो चुकी हैं, चिट्ठी-पत्री हो चुकी हैं लेकिन अभी तक इसमें यह तय नहीं हो पाया है कि इन कटरों की सफाई कौन करेगा। बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा दृश्य जब वो परिवार सुबह-सुबह अपने घर में उठते हैं तो उनके घर के बाहर वो सीवर का पानी होता है उसमें सिल्ट होती है, पोटी होती है और जब वो जाते हैं सफाई कर्मचारी के पास तो वो मना करता है लेकिन वही कर्मचारी अनऑफिशियली बाद में दो बजे के बाद उनसे पैसा लेकर काम वो काम करता है। वो लोग जो वहाँ रहते हैं, सुबह-शाम तक जो कमाते हैं उसी से वो खाते हैं और उसमें से अगर चार-पाँच सौ रुपये डेली के सीवर के कर्मचारी को दें तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल स्थिति बनी हुई है। वो लोग हमारे पास आते हैं कार्यालय में तो हमें पता नहीं होता है कि इस कंप्लेंट के लिए किस अधिकारी को कॉल करना है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस समस्या पर जल्दी से जल्दी तय करें कि इनकी सफाई कौन करेगा? धन्यवाद।

## विधेयक का पुरःस्थापन

**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक का पुरःस्थापन, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी।

**उप मुख्यमंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली मूल्य कर संवर्द्धित (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन प्रदान की जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

**जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,**
**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**
**हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता**
**प्रस्ताव पास हुआ।**

अब वित्त मंत्री बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे।

**उप मुख्यमंत्री** : महोदय मैं "The Delhi Value Added Tax (First Amendment) विधेयक, 2015 को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूँ और इसके इंट्रोडक्शन के संदर्भ में मैं स्पष्ट दो लाइनें, दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये एमेंडमेंट दिल्ली के व्यापारियों के हित में एक बहुत जरूरी एमेंडमेंट है। हमारे दिल्ली के जो व्यापारी साथी हैं, वो पूरे साल मेहनत करते हैं और लगातार टैक्स देते रहते हैं लेकिन मार्च के महीने में आकर एक वैट में एमेंटमेंट किया गया था कुछ साल पहले उस एमेंडमेंट की वजह से उन व्यापारियों को मार्च महीने में आकर एक तरह से दबाव डाला जाता है कि वो जो टैक्स, मान लीजिए उन्होंने अधिक दिया है तो उसको वापस ले। एक तरह से फोर्स रिफंड के लिए उनको बाध्य किया जाता था तो हमारी सरकार ने आकर इसको समझा और व्यापरियों ने इस मुद्दे को कई जगह उठाया हमारे साामने कि इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है। यह अगर मार्च के महीने में जो उन्होंने टैक्स दिया है वो आगे carry forward हो जाये तो इससे उनकी परेशानी काफी खत्म हो जायेगी। व्यापारियों की इस परेशानी को सरकार बहुत शिद्दत से समझती है और उसको समझते हुए यह अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करती है कि उनको carry forward की इजाजत, ताकि उनको carry forward की सुविधा मिल सके। यह एक छोटा सा अमेंडमेंट इस बिल में प्रस्तावित है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा इसको देख लें।

## वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन

**मुख्यमंत्री (श्री अरविन्द केजरीवाल)** : दिल्ली विभान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 192 के उप नियम 2, नियम 194 के उप नियम 2 और नियम 196 के उप नियम 2 के अनुसरण में इस सदन के सदस्य 01 अप्रैल, 2015 से आरम्भ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

**जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,**
**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**
**हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता**
**प्रस्ताव पास हुआ।**

अब इसके निर्वाचन के कार्यक्रम की मैं जानकारी दे रहा हूँ। यह तीनों समितियाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है नामांकन भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2015 है सायं 5 बजे तक, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च, 2015 है अपराह्न 5 बजे तक। निर्वाचन की तिथि यदि आवश्यक हुआ तो 31 मार्च, 2015 अपराह्न 3 बजे तक होगी। स्थान — सदस्य लाउँज, पुराना सचिवालय, दिल्ली में रहेगी। संबंधित फार्म आदि विधान सभा के नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में उपलब्ध है। इसी प्रस्ताव में मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ डी.डी.ए. में तीन सदस्य जाने हैं उनका भी चुनाव विधान सभा को करना

होता है। दो सत्ता पक्ष की ओर से, एक विपक्ष से, इसके लिए भी तीनों नोमिनेशन जो हैं, वो साथ के साथ भरे जायेंगे। ये तिथियाँ मैं फिर दोहरा देता हूँ— 26 मार्च, 2015 अपराह्न 5 बजे तक नामांकन भरने की अंतिम तिथि है, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च, अपराह्न 5 बजे तक। 31 मार्च को यदि आवश्यक हुआ तो 3 बजे से 5 बजे तक चुनाव होगा और यह सारा कार्यक्रम यहीं सचिवालय में होगा। फार्म इससे संबंधित सब कमरा नंबर 46 में उपलब्ध है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि 3.00 बजे माननीय वित्त मंत्री को सदन में वर्ष 2015-16 का वार्षिक बजट (लेखा अनुदान) प्रस्तुत करना है। जिसका कि दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण होना है। क्योंकि मीडिया व दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने अपने उपकरण लगाने हैं। अतः सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पुनः हम तीन बजे यहां मिलेंगे। धन्यवाद।[1]

## सदन अपराह्न 3.15 बजे समवेत हुआ
## अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

## बजट (लेखानुदान) 2015-2016 का प्रस्तुतीकरण

**अध्यक्ष महोदय** : मीडिया के बंधु आये हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इससे पूर्व माननीय वित्तमंत्री जी पटल पर 2015-16 के लिये बजट प्रस्तुत करें मैं एक विषय आपके सामने रख रहा हूं।

कल शहीदी दिवस था उसके उपलक्ष्य में विधानसभा के प्रांगण में पहली बार हमारे एक माननीय सदस्य सोमनाथ भारती जी के विचार पर उनके आग्रह पर बड़े धूमधाम से बहुत शालीनता से यह उत्सव मनाया गया और वहीं एक विषय आया विधानसभा के प्रागंण में तीनों शहीदों की प्रतिमायें लगें और वो

1. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

स्वीकार हुआ। उसको आगे कार्रवाई के लिये मैंने आगे जनरल परपज कमेटी को भेज दिया और बहुत जल्दी उस पर निर्णय होकर आगे कार्रवाई आरंभ हो जायेगी। यह मैं जानकारी देना चाह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री ने तो अपनी मधुर वाणी में गीत भी गाया बहुत अच्छा हम सब को लगा। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से .....**(व्यवधान)**

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे पहले बजट प्रस्ताव लेखा अनुदान प्रस्तुत किया जाये कि क्या विशेष परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण ये वोट आन एकाउंट हो रहा है बजट प्रपोजल आज लगभग 50 दिन हो जायेंगे इस सदन के चुनाव को समाप्त हुए और 67 मेम्बर्स आपके हाउस में हैं सत्ता दल के उसके बाद आप बजट प्रस्ताव नहीं बना पाये पूरी तरह से। क्या कारण है कि आप वोट आन एकाउंट secrecy and transparency दोनों विषय सामने आते हैं.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : बिजेन्द्र गुप्ता जी, आप बैठिये।

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : जरूर इस बात को स्पष्ट करें कि वोट आन एकाउंट क्यों लाया जा रहा है क्यों ये तीन महीने जो हैं व्यर्थ किये जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा जरूर देखें। मैं अध्यक्ष जी इतना कहना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों के समक्ष पूरी परिस्थिति आनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात रख ली, बस विषय खत्म हो गया। बैठिये।

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : विषय खत्म नहीं हुआ, विषय शुरू हुआ है जब तक जवाब नहीं आयेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात रख दी। फिर वही बात, आपको शायद लगता है कि कुछ परेशानी है.....**(व्यवधान)** आप बैठिये, बैठ जाइये प्लीज बार बार ये टोका-टाकी वो उत्तर देगें आपने अपना विषय रख दिया .....**(व्यवधान)**

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : सर मेरा प्वाइंट आफ आर्डर भी है.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप हर बार प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है चलिये मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं मनीष सिसोदिया जी वर्ष 2015-16 के लिये बजट प्रस्तुत करें। और उसके साथ-साथ वोट आन एकाउंट पेश करेंगे। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से श्री सिसोदिया जी को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी।

**उप मुख्यमंत्री** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-16 के लिये अपनी सरकार का पहला बजट इस सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं और लेखा अनुदान की अनुमति चाहता हूं ताकि अगले तीन महीने की अवधि तक या नियमित बजट सदन में पारित किये जाने तक सरकार अपना कार्य संचालन कर सके और अनिवार्य खर्चे पूरे किये जा सकें। वास्तविक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें जो प्रस्तुत की जा रही हैं पूरे वर्ष के लिये हैं जिन्हें वर्ष 2015-16 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय संशोधित किया जायेगा। पूरे वर्ष के लिये नियमित बजट के स्थान पर लेखा अनुदान प्रस्तुत किया जा रहा है अभी हमारे माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अध्यक्ष जी, इसका कारण ये है जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी सरकार राजधानी दिल्ली के राज्य की जनता के ऐतिहासिक जनादेश के साथ पिछले महीने चुनी गई है।

हम चाहते हैं कि बजटीय प्रक्रियाओं का पूरी तरह नये सिरे से अध्ययन करें और ऐसी योजनाएँ पहले साल से ही बनाकर चलें ताकि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही हम यह भी चाहते हैं **.....(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : बिजेंद्र जी, आप बीच में टोकेंगे तो मुझे सख्त होना पड़ेगा। बिजेंद्र जी, पूरा मीडिया देख रहा है, आप बार-बार बीच में टोकेंगे तो यह शालीनता नहीं है। यह सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन है और आप कंट्रोल करिये इस चीज को।

**उप मुख्यमंत्री** : अध्यक्ष जी, यह उनकी समस्या नहीं है, वो टोकेंगे नहीं तो मीडिया देखेगा कैसे? साथ ही अध्यक्ष जी, हम यह भी चाहते हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसमें आम जनता के साथ सलाह-मशविरा हो, आम जनता के साथ चर्चा को अधिक से अधिक स्थान मिल सके, इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा समय चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हमने देखा है मैं एक पत्रकार के तौर पर भी सारी बजटीय प्रक्रियाओं को देखता रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में भी, एक सजग नागरिक के रूप में इन सबका मैं वॉच करता रहा हूँ कैसे देश में बजट बनते हैं, केन्द्र सरकार बजट बनाती है, राज्यों में भी बजट बनते हैं तो एक मोटी सी समझ यह बनती है कि हमारे जो बजट तैयार करने के प्रोसेस हैं, जो प्रक्रियाएँ हैं वो ज्यादातर बंद कमरों में होती हैं। हम इस बजट बनाने की प्रक्रिया में बंद कमरों से बाहर निकालना चाहते हैं। अभी तक फाइलों को पढ़कर, फाइलों में कुछ डेटा इकट्ठा हुआ, डिपार्टमेंट्स ने डेटा इकट्ठा किया, चार डिपार्टमेंट बैठे आपस में तय किया कि भई इसको इतना इसको इतना, इसको कम, इसको ज्यादा और इन फाइलों के हिसाब से बजट तैयार हो जाता है।

मैं सारी प्रक्रिया को दोष नहीं दे रहा, पर उसका मेजर हिस्सा, मेजर पार्ट यह रहा है अब एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं अदम गोंडवी साहब। अदम गोंडवी साहब ने फाइलों के बारे में बहुत लिखा है कि सरकारी फाइलों में क्या होता है उन्होंने लिखा है कि—

तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आँकड़े झूठे हैं और यह दावा किताबी है।

फाइलों का सच यह होता है। एक और बड़ी खूबसूरत लाइन अदम गोंडवी साहब ने लिखी है फाइलों के बारे में और हम तो आंदोलन के लोग हैं, आंदोलन में जंतर-मंतर से लेकर सड़कों पर जिस वक्त लाठी खा रहे होते थे, उस वक्त यह गा रहे होते थे कि—

जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में
गाँव तक वो रोशनी पहुँचेगी कितने साल में।

यह जो रोशनी है, यह जो जनता की मेहनत की कमाई से उम्मीद की रोशनी है, विकास की रोशनी है, वेल्फेयर की रोशनी है, यह फाइलों के जाल में उलझती तो हमेशा से चली आई है। इसको फाइलों से निकालना है, बंद कमरों से निकालना है इसलिए इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा। इसके लिए अभी लेखानुदान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का संकल्प है कि इस रोशनी को फाइलों से निकाल कर, आँकड़ों से निकाल कर घरों तक लाना है, जिंदगियों तक लेकर आना है। हमारी जो सरकार है इसका एक तौर-तरीका है काम करने का, हमारी राय में इसका एक ही तरीका है कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों से बात करके बजट तैयार किया जाये। सिर्फ हम कुछ विधायक या कुछ मंत्री या कुछ अधिकारी कुछ आंकड़ों के आधार पर,

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर या परम्परागत आंकड़ों के आधार पर अगर बजट तैयार करेंगे तो वो फाइलों में गुलाबी दिखेगा लेकिन उसका जो दावा है वो तो एकदम किताबी दिखेगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दिल्लीवासियों की वर्तमान और भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ तमाम मुद्दों और तमाम समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करके एक बजट तैयार करना चाहती है और हम चाहते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए और दिल्ली के भविष्य की योजनाओं की तैयारी में सरकार जो भी काम करे, उसमें यहाँ इस सदन से बाहर बैठे हुए लोगों की जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भागीदारी हो और उनकी निरंतर भागीदारी हो, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ इस सदन में भी मैंने पहले कहा है कि पाँच साल में एक बार अपना राजा चुनना और अगले पाँच साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहना कि माई-बाप सड़क बनवा दीजिए, माई-बाप स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, माई-बाप बत्ती लगवा दीजिए, बत्ती खराब हो गई। यह सब लोकतंत्र के अधूरेपन के संकेत हैं। अगर हमको लोकतंत्र को पूर्ण बनाना है, लोकतंत्र को गहरे तक पहुँचाना है तो जिनका हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने हमें यहां चर्चा करने के लिए भेजा है उनसे निरंतर संवाद होना बहुत जरूरी है इसलिए उनसे चर्चा बजट में हम करेंगे, उनकी भागीदारी बढ़ायेंगे। हमने इस दिशा में शुरुआत करते हुए शासन में सुधार लाने, प्रशासन को सक्षम बनाने और दिल्ली के समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दिल्ली डॉयलोग कमीशन भी बनाया है। यह कमीशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतरीन सुझावों, तौर-तरीकों और नीतियों पर सरकार को सलाह देगा और सरकार उस सलाह के आधार पर अमल करेगी। सरकार द्वारा अपने सत्तर सूत्रीय एजेंडे के बारे में योजना तैयार

करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के कार्य दल और समितियाँ गठित की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संशोधित बजट अनुमान पेश करने और अगले तीन महीने के लिए लेखानुदान पेश करने से पहले मैं सदन का ध्यान दिल्ली की आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली के कुछ आर्थिक मुद्दे हैं, दिल्ली की आर्थिक स्थिति के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं उसकी ओर भी दिलाना चाहता हूँ। आपका और आपके माध्यम से सदन के माध्यम से इसका ध्यान दिल्ली का जो जी.एस.डी.पी. है यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर वर्तमान मूल्यों के आधार पर देखें तो चालू वित्त वर्ष में 451154 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है। जो गत वर्ष की तुलना में 15.35 प्रतिशत अधिक होगा। अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करें तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2014-15 में 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह विकास दर 4.7 प्रतिशत आंकी गई है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान अगर हम देखें तो 3.68 फीसदी है जबकि देश की कुल आबादी में हमारी हिस्सेदारी मात्र 1.4 फीसदी है तो यह एक विशिष्ट परिस्थिति है यह एक डेटा जो हमें बताता है कि दिल्ली किन विशिष्ट परिस्थितियों में खड़ी है। जी.एस.डी.पी. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 240849 रुपये हो जाने का अनुमान है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 2.7 गुना ज्यादा है। संदर्भ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय 88533 रुपये है।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सैक्टर का है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 87.48 फीसदी है। इसके बाद उद्योग और कृषि का योगदान है। सेवा कर, आय कर, कम्पनी कर और सीमा

शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दिल्ली का योगदान देश के अन्य महानगरों की तुलना में अत्यन्त महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद मैंने कहा कि दिल्ली के लोगों की इनकम ज्यादा है, दिल्ली के लोग मेहनत करके कमाते हैं तरह-तरह के टैक्सेस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में भी हमारा शेयर बाकी शहरों से बहुत ज्यादा है, काफी तुलना में ज्यादा है। इसके बावजूद केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 2001-02 से मात्र 325 करोड़ रुपये पर स्थिर रखी गयी है। एक बहुत चिंता की बात है। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने की सिफारिश की है। अभी हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे थे वित्त आयोग की, मैं उनका ध्यान एक और वित्त आयोग की तरफ दिलाना चाहता हूं और संयोग से यह वो वित्त आयोग है जिसके तहत जिसकी सिफारिशें पर वो सरकार काम कर रही है जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वित्त आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ पर सोचते हुए वो इस बात को भी पूरे संज्ञान में रखेंगे और मैं आपके माध्यम से बिजेंद्र गुप्ता जी का इस पर विशेष ध्यान चाहूंगा कि 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने की सिफारिश की है। केंद्रशासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली को इस सिफारिश का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन दिल्ली में अपनी चुनी हुई विधान सभा है, दिल्ली महज एक केंद्रशासित शहर नहीं है, दिल्ली में अपनी चुनी हुई विधान सभा है, दिल्ली के लोग अपनी विधान सभा चुनते हैं हालांकि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का एक कंसोलिडेटेड फंड है अलग से और सरकार के सभी वित्तीय लेन-देन हम स्वयं के इन्हीं संसाधनों से पूरा करते हैं। अगर 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से उसको दिल्ली पर लागू कर दिया जाये तो सिफारिश अवधि यानी जो वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि है (2015-20) के दौरान करीब 25000 करोड़ रुपये दिल्ली के लोगों को मिलेंगे। यह कौन सा पैसा है 25000 करोड़ रुपये जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि दिल्ली के लोगों की वार्षिक आय ज्यादा है दिल्ली की आबादी के हिसाब से देश के बाकी हिस्सों के आबादी के हिस्सों

के हिसाब से हम दिल्ली वाले सबसे ज्यादा यहाँ से टैक्स देते हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि बी.जे.पी. के तीन-तीन साथी हमारे यहाँ बैठे हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस ओर ध्यान देंगे। हम दिल्लीवासी जमकर सर्विस टैक्स देते हैं, खूब सर्विस टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जमकर इनकम टैक्स देते हैं अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाये तो करीब 16 परसेंट योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स कलैक्शन हो रहा है सर्विस टैक्स के माध्यम से, तमाम टैक्सेस के माध्यम से विशेषकर सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स के माध्यम से उसमें 16 परसेंट योगदान हम दिल्ली वालों की ओर से केन्द्र सरकार को जाता है। देश की राजधानी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। हम देश के दिल में बैठे हैं, हम देश की राजधानी में बैठे हैं और समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम कमायें तो हमसे जो टैक्स जाये उसका हिस्सा देश के उन हिस्सों की तरफ भी जाये जहाँ किसी भी कारण से गरीबी है, पिछड़ापन है और बात गरीबी और पिछड़ेपन की भी नहीं है, आज हम दिल्ली में बैठकर हम कहें कि हम कमाते हैं तो इसी देश के कोने में वो लोग भी बैठे हुए हैं जो अन्नदाता हैं दिल्ली वालों को खाना खिलाते हैं जहाँ देश के तमाम रिसोर्सेज हैं छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक तमाम राज्यों में, जो किन्ही परिस्थितियों से पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण गरीब बने हुए हैं अभी भी, संसाधन होने के बावजूद गरीब बने हुए हैं, उन तक टैक्स का पैसा जाये, यहाँ दिल्ली से जो सेंट्रल टैक्स इकट्ठा होते हैं उसका पैसा जाये, यह हम जिम्मेदारी के रूप में मानते हैं दिल्ली के लोगों की हम दिल्लीवासियों की जिम्मेदारी हैं कि इस टैक्स में से वहाँ पैसा जाये, वहाँ के विकास में हमारा हिस्सा हिस्सा जाये, इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलैक्शन में 16 परसेंट योगदान देने के बावजूद, 16 परसेंट योगदान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हक का 0.65 परसेंट भी मिले तो हमें हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये मिलने लगेंगे। हम क्या माँग रहे हैं अध्यक्ष जी, किसकी बात कर रहे हैं 100 रुपये में से हम सिर्फ 65 पैसे माँग रहे हैं। एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से 100 रुपये में से अगर हमको 65 पैसे भी मिलने लगे तो हमको हर साल

4000 करोड़ रुपये मिलेंगे। अगर वित्त आयोग की सिफारिशों के पीरियड के हिसाब से देखें तो अगले पाँच साल में हमें करीब 25000 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए मिलेंगे। जैसा मैंने कहा 0.65 परसेंट की माँग कर रहे हैं तो एक परसेंट भी नहीं माँग रहे, हम तो पौने परसेंट भी नहीं माँग रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारे हक का 0.65 परसेंट हमें दीजिए। यह वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। बिजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से क्योंकि उन्हें वित्त आयोग की काफी समझ है जैसा मुझे समझ में आ रहा है। आयोग की रिपोर्ट्स में काफी दिलचस्पी है। दिल्ली के सदन के पटल पर रखी जाये लेकिन जो पटल पर रखी गयी रिपोर्ट है उनमें जो लिखा गया है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी के माध्यम से इस बात को पहुँचायेंगे कि एक परसेंट भी दिल्ली नहीं माँग रही, पौना परसेंट भी नहीं माँग रही। 0.65 परसेंट माँग रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सदन के माध्यम से पहुँचेगी यह बात और माननीय सदस्य के माध्यम से उनकी पार्टी के माध्यम से भी दिल्ली की खातिर यह बात वहाँ पहुँचेगी। 14वें वित्त आयोग ने यह कलकुलेशन की है वो जनसंख्या, इनकम टैक्स आदि के आधार पर राज्यों के बारे में राय दी है उसके हिसाब से दिल्ली को सेंट्रल टैक्स कलैक्शन में से जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिये। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और आगे आने वाले समय में मिलेगा। पर जिस चीज की ओर मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बात रख रहा हूँ। वर्ष 2001 से इतना सब टैक्स देने के बावजूद दिल्ली को हर साल सिर्फ 325 करोड़ रुपये की स्थिर फ्रीज कर रखा है frozen amount है, सिर्फ 325 करोड़ रुपये सेंट्रल टैक्स में से शेयर मिलता है। इस बार केन्द्र में नई सरकार बनी, दिल्ली में लोगों को उम्मीद थी दिल्ली के लोगों ने वोट देते हुए दिल्ली की तरफ से सात सांसद वहाँ भेजे हैं बी.जे.पी. के, उम्मीद थी कि दिल्ली के लोगों को कुछ इसका लाभ मिलेगा, कुछ

नीतियाँ बदलेंगी लेकिन 2001 से जो नीति चली आ रही थी कि दिल्ली वालों के टैक्स में सिर्फ जो सेंट्रल टैक्स का शेयर है उसमें सिर्फ 325 करोड़ रुपये मिलेंगे उसमें इस बार भी 325 करोड़ रुपये रह गये। पंद्रह साल से चला आ रहा है, 15 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, महँगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, cost of living दिल्ली जैसे शहर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया लेकिन 15 साल से हमें हर साल मिल रहे हैं सिर्फ 325 करोड़, बार-बार 325 करोड़ रुपये, इस साल के बजट में भी। अब देखिये हरियाणा को इन्होंने बढ़ाकर दुगुना कर दिया पिछले साल के मुकाबले, पंजाब को दुगुना दिया दिल्ली का क्या अपराध था जी, दिल्ली को भी तो पैसा मिलना चाहिये था दिल्ली वालों ने भी तो इसमें टैक्स दिया था। तो अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाँटना है तो हक के हिसाब से बाँटो। जो बाँटना है तो हक के हिसाब से बाँटो हमारी प्यास के हिस्से का पानी तो मत काटो।

अध्यक्ष जी, हमारे पास अन्य राज्यों की तरह जमीन जैसे विशाल संसाधन नहीं हैं दिल्ली में, सरकार को अस्पताल, कॉलेज तकनीकी संस्थान बनाना हो या फिर ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हों, बस टर्मिनल बनाने हों, बस डिपो बनाने हों, बुजुर्गों के लिए कोई आश्रम वगैरह बनाने हों, ऐसी तमाम बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जितनी जरूरतें पड़ती हैं, वेल्फेयर के लिए जितनी जरूरतें पड़ती हैं हमको डी.डी.ए. से जमीन खरीदनी पड़ती है, बड़ी ऊँची कीमत देकर खरीदनी पड़ती हैं। दिल्ली के लोगों के हिस्से की जमीन दिल्ली सरकार एक्वायर करके डी.डी.ए. को देती है और डी.डी.ए. उस पर 20 हजार फ्लैट बनाता है और उस 20 हजार फ्लैट्स में रहने वाले लोग जब कहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गये, स्कूल चाहिये तो दिल्ली सरकार कहती है स्कूल बनाना है इनके लिए आप जमीन दीजिए तो डी.डी.ए. कहता है जी जमीन खरीद लीजिए।

हम कहते हैं कि साहब बस स्टॉप बनाना है जमीन दीजिए कहते हैं बस स्टॉप खरीद लीजिए। उन्हीं लोगों के लिए जिनको 20 हजार फ्लैट्स बनाकर दिए थे डी.डी.ए. ने तो अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है दिल्ली का जिसकी तरफ इस सदन का भी ध्यान चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि सदन और यहाँ मीडिया उपस्थित है मीडिया के माध्यम से देश को उन तमाम लोगों का जो दिल्ली कि स्थिति पर नजर रखे हुए हैं उनका ध्यान चाहता हूँ। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि राज्य के जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं उनका एक बड़ा हिस्सा हमारा जमीन खरीदने पर खर्च हो रहा है। जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग हम बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कर सकते हैं, वेल्फेयर के लिए कर सकते हैं उस पैसे को हमने जमीन खरीदने पर खर्च कर दिया। स्कूल के लिए जमीन खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए हॉस्पिटल बनना है, सरकार को हॉस्पिटल के लिए जमीन किसी ऐसी संस्था से खरीदनी पड़ती है जो प्रोपर्टी डीलर की तरह से है। यह अत्यंत आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिल्ली सरकार को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने की परंपरा शुरू की जाये और शहर के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जितना संसाधन उन्होंने इकट्ठा किया है, डेवलपमेंट कॉस्ट से फ्लैट्स बेचकर उसको दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली की सरकार के साथ उसको साझा किया जाये। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली नगर योजना में राज्य सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। शहर के व्यापक विकास के लिए एक महानगरीय योजना निकाय बनाने की जरूरत है। सब कुछ बंटा हुआ है दिल्ली में, अब तो नगर निगम भी बंट गये। नगर निगम भी बंटा हुआ है, डी.डी.ए. का अलग है, दिल्ली सरकार का अलग है, केन्द्र सरकार की अलग एजेंसी है, एन.डी.एम.सी. का अलग है इसलिए मैंने कहा कि शहर के

व्यापक विकास के लिए एक महानगीरीय योजना निकाय बनाने की आवश्यकता है। जो अनियोजित बस्तियाँ, अनअथोराइज कालोनीज और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और किसानों के लिए सामाजिक और भौतिक ढांचे के विकास संबंधी विशेष मुद्दों पर समाधान करने के लिए इकट्ठा होकर काम करें।

एक और चर्चा अभी हमारे माननीय विधायक जी कर रहे थे कि दिल्ली में नगर निगमों के पास पैसा खत्म हो गया है। दिल्ली में नगर निगम के पास इतना पैसा नहीं है कि हजारों सफाई कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके। दिल्ली में दिल्ली सरकार अपने टैक्स का 10.5 फीसदी नगर निगम को देती है। 14वें वित्त आयोग की तरफ मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है, उसके आधार पर हमको यानी दिल्लीवासियों की चुनी हुई सरकार को केन्द्र सरकार से 600 करोड़ रुपये इसलिए मिलने थे ताकि यह सरकार नगर निगम को दे सके। वो 600 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, बजट में। वो 600 करोड़ आज तक नहीं मिले। वो 600 करोड़ मिलने चाहिये अगर वो 600 करोड़ मिलेंगे तो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं नगर निगम में और भी काम के लिए आयेंगे। लेकिन केन्द्र में बैठी हुई सरकार नगर निगम के हिस्से का पैसा नहीं दे रही है वहाँ से। यह बात भी ध्यान देनी चाहिए। अब हमसे कह रहे हैं, दिल्ली सरकार से कि पैसा दे दो।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले एक साल में जो भी सरकारें रहीं, दिल्ली सरकार को दिल्ली की जनता को इस फंड के मेनेजमेंट में साढ़े चार हजार करोड़ का घाटा हुआ है। साढ़े चार हजार करोड़ का, जब हम गये थे पिछली बार 49 दिन की सरकार छोड़कर, डाटा कहता है रिकार्ड्स कहते हैं टैक्स के कि एक हजार करोड़ रुपये पिछले वर्षों की तुलना में अधिक टैक्स इकट्ठा हुआ था और आज अप्रैल के बाद से आज तक उठाकर देखिये पिछले दिनों जब हम आये तो डेटा देखा तो साढ़े चार

हजार करोड़ रुपये घाटे में चल रही है व्यवस्था यहाँ की। जो व्यवस्था साढ़े चार हजार करोड़ रुपये घाटे में चल रही है उसको केन्द्र की सरकार से पैसा दिलवाया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि इस बात को भी पार्टी के माध्यम से भी वहाँ उठाये, दिल्ली के लोगों के हित की चिंता को करते हुए। पैसा कम है, यह सारी बातें मैंने सिर्फ भूमिका के लिए इसलिए कहीं क्योंकि जब बात हुई मैं बजट को प्रस्तुत करूँ तो सदन में बातें रखीं, मुझे लगा कि इसका जवाब देना जरूरी है। मैं ये सारी बातें कहने के बावजूद दिल्ली सरकार साढ़े चार हजार करोड़ रुपये घाटे में हैं छोड़कर गये हैं, साढ़े चार हजार करोड़ रुपये घाटे में छोड़ा है इन्होंने उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि हमको खुद पर भरोसा है, अपनी नीयत पर भरोसा है और हमारा पूरा कमिटमेंट है कि हम इस दिल्ली को इस घाटे से भी निकालेंगे और दिल्ली के लिए हमने जो कमिटमेंट किए हैं वो भी पूरा करके दिखायेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का 36,766 करोड़ रुपये का नियमित बजट संसद ने 18 जुलाई, 2014 को अनुमोदित किया था। याद रखियेगा तारीख, मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य इस तारीख को ध्यान में रखें क्योंकि केन्द्र में एक सरकार बनी थी, चुनाव हुआ था केन्द्र में, और सब को याद है 16 मई को रिजल्ट आया था, उस सरकार ने दस दिन के अंदर शपथ ले ली थी। जून और उसके बाद जुलाई और याद रखिये 18 जुलाई, 2014 को केन्द्र सरकार ने बजट पेश किया था और आज अगर हम वोट ऑन एकाउंट पेश कर रहे हैं और बजट अभी पेश नहीं कर रहे हैं, तो यह तारीख भी संज्ञान में ली जाये कि जब केन्द्र में एक नई सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी उसने भी

कितना समय लिया था और वो तो केन्द्र की सरकार थी। यहाँ तो हमें बजट की प्रक्रियाओं में भी बहुत परिवर्तन जैसा मैंने कहा प्रस्ताव करना है। यह 36,766 करोड़ रुपये का नियमित बजट संसद ने 18 जुलाई, 2014 को अनुमोदित किया था, इसमें 16,700 करोड़ रुपये योजना व्यय में, 1000 करोड़ रुपये केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए और 19,066 करोड़ रुपये गैर-योजना व्यय के लिए शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, 14 फरवरी को हमारी सरकार ने शपथ ली और उसके बाद हमारी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों से किए गए वायदों में से एक-एक करके उन पर काम करना शुरू कर दिया। हमने वायदा किया था 400 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती देंगे। आधे दाम करेंगे। हमने एक बार वर्तमान शुल्क में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का वायदा पहले ही पूरा कर दिया है। यह वायदा पूरा कर चुकी है सरकार। सरकार के इस फैसले से करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को, दिल्ली के 36 लाख परिवारों को जो घरेलू श्रेणी के अंतर्गत है फायदा पहुँचेगा सरकार के इस फैसले से। और इसका प्रतिशत देखिये कि ये जो 36 लाख परिवार हैं। ये दिल्ली घरेलू उपभोक्ताओं के अंतर्गत कुल बिजली उपभोक्ताओं का 90 फीसदी है। यानी कि दिल्ली की 90 प्रतिशत जनता को सरकार की इस योजना से फायदा पहुँचने वाला है। हरेक महीने 400 यूनिट से अधिक यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता इस सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए गैर योजना बजट के अंतर्गत 2014-15 के संशोधित अनुमान में प्रावधान किया गया है। सरकार ने बिजली का वायदा पूरा किया। इसके साथ सरकार का एक और वायदा था, पानी का वायदा। हमारा मानना है कि पानी सभी को चाहिए, वह चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, रंक हो या राजा हो। पीने का पानी तो अध्यक्ष महोदय, सभी को चाहिए। हमारा मानना है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चाहे राजा हो या रंक हो, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की

जिम्मेदारी है। और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पानी महंगा न हो। पानी आसानी से उपलब्ध हो। जो लोग पानी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनसे पानी का पैसा लिया जायेगा। और एक प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसार दिल्ली में पीने का पानी के पैसा गरीब से न लिया जाये, गरीब व्यक्ति को भी पीने का पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उन घरेलू उपभोक्ताओं को जिनके पास मीटर कनैक्शन है, हर महीने बीस हजार लीटर पानी निशुल्क देने की योजना लागू कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल 18. 09 लाख यानी करीब 18 लाख परिवारों के लिए जो पानी के बिल भेजे जाते हैं, इनमें से 9.5 लाख उपभोक्ताओं यानी 50 फीसदी से अधिक को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की इस योजना का लाभ 50 फीसदी से ज्यादा दिल्ली को मिलने वाला है। 90 प्रतिशत बिजली से और 50 प्रतिशत आबादी पानी की योजना से लाभान्वित होने वाली है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में जल सब्सिडी के लिए करीब 21 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इसका प्रावधान 2014-15 के संशोधित अनुमान में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हमने देखा कि योजना बजट का करीब 61 फीसदी फरवरी, 2015 तक उपयोग किया गया है। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि सरकार की नीतियाँ ऐसी रहीं, जो लोग सरकार चला रहे थे, उनका ध्यान पता नहीं कहां रहा कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी आई। साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की गिरावट तो उसके अनुरूप में 2014-15 के संशोधित अनुमान के अंतर्गत योजना आकार घटाकर 15450 करोड़ रु. और गैर योजना व्यय 18440 करोड़ रु. और centrally sponsored केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए राशि 900 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। गैर योजना व्यय के अंतर्गत 4751 करोड़ रु. ब्याज और मूलधन राशि के रूप में भारत सरकार को अदा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त इसमें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली 2380 करोड़ रु. की कर राशि और स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों में उनकी 1291 करोड़ रु. की हिस्सेदारी शामिल है। 2380 करोड़ रु. एक और 1291 करोड़ रु. एक नगर निगम को दिए जाते रहे हैं। दिल्ली परिवहन निगम को परिचालन घाटा पूरा करने और रियायती पासों के लिए दी जाने वाली 1083 करोड़ की राशि भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली और पानी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी 351 करोड़ रु. की राशि भी गैर योजना व्यय में इसमें शामिल की गयी है। तो वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों में कुल बजट राशि 34790 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गयी है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में 2014-15 के लिए पूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2014-15 राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रस्तावित संशोधित अनुमानों को पूरा करने के लिए 351.9816 करोड़ रुपये की प्रथम और अंतिम पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता है। तदनुरूप मैं वर्ष 2014-15 के लिए 351.9816 करोड़ रु. की पूरक अनुदान मांगें सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के सामने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट के तहत प्रथम तीन महीनों के लिए लेखा अनुदान मांगें प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कुल 37750 करोड़ रु. का बजट अनुमान प्रस्तावित है। इसमें 21500 करोड़ रु. गैर योजना व्यय 15350 करोड़ रु. योजना व्यय और 900 करोड़ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए शामिल है। कुल प्रस्तावित 37750 करोड़ रु. की वित्तीय व्यवस्था में मुख्य रूप से 32641 करोड़ रु. दिल्ली वासियों के स्वयं के कर राजस्व से 1327 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व से 618 करोड रुपये पूंजी प्राप्तियों से और 900 करोड़ रुपये लघु बचत ऋणों से जुटाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि

325 करोड़ रु. की राशि भारत सरकार के केन्द्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में हमें मिलेगी। 395 करोड़ रु. सामान्य केन्द्रीय सहायता, 900 करोड़ रु. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं आदि के रूप में मिलेंगे। गैर योजना व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली 2850 करोड़ रु. की कर राशि की स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों में उनकी 1394 करोड़ रु. की हिस्सेदारी शामिल है। दिल्ली परिवहन निगम को परिचालन घाटा पूरा करने और रियायती पासों के लिए दी जाने वाली 984 करोड़ रु. की राशि इसमें शामिल है। भारत सरकार को अदा की जाने वाली 4992 करोड़ रु. ब्याज और मूल धन की राशि इसमें शामिल है और वर्ष 2015-16 के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए 1690 करोड़ रु. की राशि भी गैर योजना व्यय में शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूर करने की अपील करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार का पैसा है, ऐसा लगता है कि विधानसभा का पैसा है। अध्यक्ष महोदय ये प्रस्तुत करते हुए मैं सारे यहां सम्मानित सदस्य इस तथ्य से तो भलीभांति अवगत हैं ही, पर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये पैसा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा और आपका पैसा नहीं है। इसके इकट्ठा करने में भले ही हमारे सरकार के कुछ अधिकारी लगे हों, भले ही इसके लिए सरकार की एक मशीनरी लगी हो, लेकिन इसको पाई-पाई तिल-तिल जोड़कर इकट्ठा करने में दिल्ली के एक-एक आदमी का हाथ है, एक-एक रिक्शे वाले का हाथ है, एक-एक व्यापारी का हाथ है। यह उसका पैसा है। एक-एक कर्मचारी का हाथ है जो टैक्स देता है। एक-एक व्यक्ति

का जो बाजार से भले ही नमक खरीदने जाता है, वो माचिस खरीदने जाता है वो भी टैक्स देता है यह उसका पैसा है। तो हम सब लोग वो चाहे सरकार में हों, सदन में बैठे हुए लोग हों, सरकारी मशीनरी के हिस्से के रूप में अधिकारीगण हों, हम इसको अपना पैसा मानकर न करें, इस पैसे के मालिक बनकर न करें बल्कि इस पैसे के व्यवस्थापक बनकर काम करें और इस पैसे को जहां जाना है, जिसके लिए जाना है क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं कि उसके लिए फायदा पहुंचेगा। 90 परसेंट दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचता है तो मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो सब्सिडी राज है। बिजली महंगी हो रही है जिस कारण से भी हो रही है, भ्रष्टाचार है उसकी जांच होगी। लेकिन इसको इस रूप में देखें इसलिए मैं। आखरी बात अपनी कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं कि अगर है तो सबके लिए हो मैं दिल्लीवासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर है तो सब के लिए हो ये जिद हमारी है और इसी बात पर अब हमारी जंग जारी है। तो ये जंग है और मैं इसकी पूरी व्यवस्था को, जो हम व्यवस्था बनाने में लगे हैं, मेरे लिए अभी एक आंदोलन ही है। जब तक दिल्ली के हर एक आदमी के घर में पीने का पानी न पहुंच जाए, जब तक दिल्ली के हर आदमी के घर में सस्ती बिजली न पहुंच जाए, दिल्ली के हर एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था न हो जाए, दिल्ली का हर नौजवान इस भरोसे पर न खड़ा हो जाए कि मेरे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार अच्छे से करती है और मेरे बजट में करती है मेरी सैलरी में मैं दिल्ली में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता हूं। अपने बच्चों को मैं अपनी सैलरी में, अपनी कमाई में अच्छा इलाज दिला सकता हूं, जब तक यह व्यवस्था न हो जाए, इस व्यवस्था में खामियां रहेंगी। हम निरंतर इसको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। अपना पूरा तन मन धन इसमें अर्पित करके इसको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन लेखा

अनुदान और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूर करने की सदन से अपील करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आज सदन के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है दो इसी सदन की हस्तियां हमारे बीच में तीन हमारे बीच में विराजमान हुई हैं। मैं पहले तो परिचय करवाता हूं। मैं जब इस सदन का सदस्य था आदरणीय अजय माकन जी भी इसी सदन के सदस्य थे और यहां के सभापति भी रहे हैं, केन्द्र में मंत्री भी रहे हैं, एक विशेषता मैं बताना चाहता हूं कि सदन में जब भी वो बोलते थे मैंने बहुत कुछ उस वक्त सीखा है, मैं सत्ता में था वो विपक्ष में थे to the point logic लेकर with rules कहां से कितना अध्ययन करके लाते थे। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज वो बजट के स्तर में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्रीमान अजय माकन जी, कुछ सदस्य आपसे परिचित नहीं होंगे। एक बार मैं प्रार्थना करूंगा अजय माकन जी के लिए एक बार हम मेज थपथपा कर उनका अभिनंदन करें। श्री योगानंद शास्त्री जी भी यहां स्पीकर रहे है। आपका भी यहां बहुत अच्छा समय रहा, उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूं। श्री अनिल भारद्वाज जी एक्स एम.एल.ए. रहे हैं, वो आज यहां आए हैं, कार्यवाही देखने उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री 2014-15 के लिए first and final batch of Supplementary Demands पेश करेंगे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं।

**उप मुख्यमंत्री** : अध्यक्ष महोदय, 2015-16 इसमें Honourabe Speaker, Sir, I present first and final batch of Supplementary Demands for the year 2014-15 before this House.

**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन Supplemntary Demands पर विचार करेगा। डिमांड न. 2 जिसमें रेवन्यू में 15 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने प्रस्तुत है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**(सदस्यों के हां कहने पर)**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 2 पास हुई।**

डिमांड न. 3 Administration of Justice जिसमें रेवन्यू में 85 करोड़ 86 लाख 60 हजार रुपये हैं सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No.3 पास हुई**

Next डिमांड न. 4 (Finance) है जिसमें रेवन्यू में 4 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 4 पास हुई।**

डिमांड न. 5 (Home) जिसमें रेवन्यू में 8 करोड़ रुपये 17 लाख रुपये हैं सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 5 पास हुई।**

Supplementary Demand No. 6 (Education) जिसमें रेवन्यू में 26 लाख रूपए हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 6 पास हुई।**

Demand No. 7 मेडिकल एंड पब्लिक हैल्थ, इसमें रेवन्यू में 17 लाख 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 7 पास हुई।**

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं कि कापी डिस्ट्रीब्यूट करवा दें।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी इसके बाद distribute होगी, प्रस्तुत होने के बाद distribute हो जाएगी।

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी Finance Minister ने बजट तो रख ही दिया, करवा दे। तभी आसानी रहेगी। ना, हां, ना वैसे ही करते रहेंगे मैम्बर। ये तो आपकी क्लास है यहां तो हां होगी ही।

**अध्यक्ष महोदय** : आ गई, आ गई है

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : थोड़ा उनको पता तो हो कि है क्या। अब नए-नए मैम्बर हैं बोलेंगे नहीं आपकी पार्टी के, ये पढ़ेंगे तब आपको अच्छा लगेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले यहां distribute कर दें। पहले यहां दे दें तीनों को। अब लीजिए, ले लीजिए। दुबारा शुरू करु। नहीं आप चाहते हैं दुबारा से शुरू करु ...**(व्यवधान)**... हां जी बिजेन्द्र जी शुरू कर रहे हैं। दुबारा से, हां जी आप किताब खोल लीजिए। मैं दुबारा से, कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं। General Administration से पहली डिमांड है रेवन्यू में है 15 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये है, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand डिमांड न. 1 पारित हुई।**

Demand No. 2 (Administration of Justice) जिसमें रेवन्यू में 85 करोड़ 86 लाख 60 हजार रुपये हैं सदन के सामने है-

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 2 पारित हुई।**

Supplementary Demand Finance से संबंधित है, ये जिसमें रेवन्यू में 4 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे,**

हां कहने में इतनी जल्दी ना करें, पूरा पढ़ लें, बिजेन्द्र को परेशानी होने लगती है

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 2 पारित हुई।**

डिमांड Home के प्रति-डिमांड न. 5 जिसमें रेवन्यू में 8 करोड़ 17 लाख रुपये है, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 5 पास हुई।**

Supplementary Demand No. 6 Education जिसमें रेवन्यू में 26 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 6 पास हुई।**

Supplementary Demand No. 7 (Medical & Public Health) जिसमें रेवन्यू में 17 लाख 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 7 पास हुई।**

Supplementary Demand No. 8 (Social Welfare) जिसमें रेवन्यू में 234 करोड़ 90 लाख रुपये और कैपिटल में 5 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 8 पारित हुई।**

Supplementary Demand No. 9 (Industries) जिसमें रेवन्यू में 4 लाख रूपए हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 9 पास हुई।**

Supplementary Demand No. 10 (Development) जिसमें रेवन्यू में 8 लाख रुपये और कैपिटल में एक लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 10 पास हुई।**

बिजेन्द्र जी हां, ना तो कुछ बोला करो। ना हां बोलते हो, ना ना बोलते हो। कुछ तो बोल दिया करो।

Supplementary Demand No.11 (Urban Development & Public Works) जिसमें रेवन्यू मं 24 लाख और कैपिटल में 5 करोड़ 73 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Supplementary Demand No. 11 पास हुई।**

हाउस ने रेवन्यू में 345 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपये और कैपिटल में 5 करोड़ 79 लाख रुपये की Supplementary Demand को मंजूरी दे दी है। Appropriation न.1 बिल 2015 बिल न. of 2015 अब मैं उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री Appropriation No.1 बिल न. 1,2015 को House में introduce करने की permission मांगेगे।

Dy. Chief Minister: Honourable Speaker, Sir I seek permission of the House to introduce Appropriation (No.1) Bill, 2015 to the House.

**अध्यक्ष महोदय** : उप मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**प्रस्ताव पास हुआ।**

अब उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री बिल को सदन में introduce करेंगे।

Dy. Chief Minister: Honourable Speaker, Sir, I introduce Appropriation No. 1 Bill, 2015 to the House.

**अध्यक्ष महोदय** : अब बिल पर clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2, खंड-3 व Schedule बिल का अंग बने,

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

अतः खंड-2, खंड-3 व Schedule बिल का अंग बन गए।

प्रश्न है कि खंड-1, Preamble and Title बिल का अंग बने।

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

Preamble and Title बिल का अंग बन गए हैं।

अब उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (No.1) Bill 2015 को पास किया जाए।

Dy. Chief Minister: Honourable Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (No.1) Bill, 2015.

**अध्यक्ष महोदय** : उपमुख्यमंत्री जी ने जो सदन में प्रस्ताव किया है, वो सदन के सामने हैं–

**जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,**

**जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,**

**हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता**

**Appropriation (No. 1) बिल 2015 पास हुआ।**

**श्री बिजेन्द्र गुप्ता** : इस पर कुछ वर्क आउट करेंगे, कल आराम से चर्चा कर लेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : कल कर सकते हैं लेकिन...मैं माननीय वित्तमंत्री जी की आज के इस बजट पर एक विशेष उनसे आग्रह कर रहा हूं दिल्ली के जितने भी मैट्रो स्टेशन हैं वहां पार्किंग बहुत पड़ी है। हजार-हजार गाड़ियां खड़ी होती हैं। लेकिन किसी भी मैट्रो स्टेशन पर आप जाएंगे उन्होंने वहां पार्किंग के लिए तो स्थान उपलब्ध करवा दिया लेकिन यूरिनल के लिए कोई स्थान उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। किसी भी मैट्रो स्टेशन पर। मैट्रो स्टेशन के अंदर बाउंडरी

में जाएं तो दो यूरिनल हैं। हजार-हजार लोग आते हैं विशेषकर सर्दियों में और बारिशों में बहुत दिक्कत होती है। स्वच्छता अभियान चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कही चिंता नहीं हुई कि ये यूरिनल पूरी दिल्ली में मैट्रो स्टेशन के आसपास निश्चित रूप से बनें। लोग बाग तुरंत अपनी गाड़ी, स्कूटर से उतरते हैं और महिलाओं को विशेष परेशानी होती हैं। वो दीवार के साथ जहां भी उनको जगह मिलती है वो यूरीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि इसकी ओर विशेष रूप से, मैट्रो स्टेशन पार्किंग में यूरिनल बनें। आज बहुत अच्छा दिन रहा। सदन की कार्रवाई 25 मार्च, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

**(सदन की कार्रवाई दिनांक 25 मार्च, 2015**
**अपराह्न 2.00 बजे तक लिए स्थगित की गई।)**

# विषय-सूची

सत्र-01 (भाग-2) मंगलवार, 24 मार्च, 2015/चैत्र 04,1937 (शक) अंक-03


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची | 1-2 |
| 2. | माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं | 3-5 |
| 3. | सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र | 5 |
| 4. | विशेष उल्लेख (नियम-280) | 6-24 |
| 5. | वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचनः | |
| | (लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति) | 26-27 |
| 6. | विधेयक का पुरःस्थापन | 24-25 |
| | (दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2015) | |
| 7. | बजट (2015-2016) का प्रस्तुतीकरण | 27-46 |
| 8. | वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदान मांगें | 46 |
| 9. | वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं पारित करना | 46-55 |
| 10. | विनियोजन (संख्या-1) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन एवं पारित करना | 54-55 |
| 11. | विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन | 55-6 |